संख्या-13/2022/648/86-2022-03(सा0)/2021

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांकः 30 मई, 2022

विषयः प्रदेश में ईमारती पत्थर यथा खण्डा गिट्टी, बोल्डर, पटिया, लाल मोरम आदि (ग्रेनाइट आयामी पत्थर को छोड़कर) के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार)नियमावली, 2021 के नियम-23 के अन्तर्गत प्राकृतिक चट्टान किस्म के ईमारती पत्थरों के नये क्षेत्र तथा पूर्व में पट्टे पर धृत क्षेत्र, जो पट्टे की अवधि के समाप्ति उपरान्त रिक्त माना जायेगा/माने जायेगें एवं उसका/उनका नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, को अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पट्टाकृत किये जाने का प्राविधान किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि ईमारती पत्थर उपखनिज के रिक्त क्षेत्रों को पट्टे पर दिए जाने हेतु खनिज की उपलब्धता, परिवहन मार्ग की स्थिति, क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूलता तथा सुरक्षित खनन के दृष्टिगत व्यवसायिक रूप से उपयुक्त खण्डों का निर्धारण नियमावली, 2021 के नियम-10 के अनुसार किया जाता है तथा क्षेत्र में आकलित उपखनिज की मात्रा के सापेक्ष विज्ञप्ति का प्रकाशन कर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए पट्टा विलेख का निष्पादन किया जाता है।

3. इस सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र संख्या-293/एम-228/2017 खनन नीति (), दिनांक 19.05.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कतिपय जनपदों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि नियमावली, 2021 में उल्लिखित अधिकतम अवधि 20 वर्ष के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों द्वारा ईमारती पत्थर के खनन पट्टे 10-20 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जा रहे हैं जबकि कतिपय खनन क्षेत्रों में इतनी अवधि हेतु पत्थर उपलब्ध नहीं होते हैं। इस स्थिति के कारण खनन व्यवसायी ऐसे क्षेत्रों में

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

खनन परिहार स्वीकृत कराने हेतु रूचि नहीं लेते हैं क्योकि उन्हे पूरी अवधि का स्टाम्प देना पड़ता है तथा पट्टा अवधि से पूर्व खनन पट्टा समर्पण करने पर 25 प्रतिशत जमा प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में देना पड़ता है। कभी-कभी स्वीकृत खनन पट्टे को निरस्त किये जाने के कारण अनावश्यक रूप से विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

4. अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत मुझे कहने का निदेश हुआ है कि अधिकतम सीमा 20 वर्ष के अन्दर रखते हुए खनिज की उपलब्धता एवं मॉग के अनुरूप ईमारती पत्थर उपखनिज के खनन पट्टे की अवधि अपने स्तर से निर्धारित करने का कष्ट करें।

भवदीया,
(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्या एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक(द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ)।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।